अनुबंध Annexure

अनुबंध **ANNEX - I**

केंद्र सरकार से पूर्णतः प्रायोजित स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीए)
2.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
3.	अस्वच्छ कार्यों से जुड़े बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
4.	छात्रवृत्ति स्कीमें (पूर्व तथा पश्च मैट्रिक) अ.जा.अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए
5.	नागरिक अधिकार अधि. 1955 के संरक्षणों के कार्यान्वयन और अल्पाचार निवारण अधि. 1969 के लिए मशीनरी को सहयोग
6.	राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति कार्यक्रम
7.	अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध करने की स्कीम
8.	जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रैला स्कीम
9.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)
10.	एकीकृत शिशु संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)
11.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसईएजी)-सबला
12.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एनएनएम)
13.	महिला सुरक्षा तथा विकास स्कीम
14.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुकों के अन्तर्गत सहायता स्कीमें
15.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
16.	सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा उपकर द्वारा निधि पोषित)
17.	मध्यान्ह भोजन
18.	पूर्वोत्तर जीवन के लिए विशेष पैकेज
19.	बुन्देल प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज
20.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी)
21.	सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के विशेष पूल के लिए अनुदान
22.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम
23.	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहायता
24.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
25.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)
26.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए उपकर आधारित आबंटन
27.	केंद्रीय सड़क निधि से निधि-पोषित सड़के व पुल
28.	बाघ परियोजना
29.	हाथी परियोजना
30.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ऋण भाग)
31.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान भाग)

Scheme to be fully supported by Union Government

Sl.No.	Name of Scheme
1.	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)
2.	Multi Sectoral Development Programme for Minorities (MSDP)
3.	Pre-Matric Scholarship for children of those engaged in unclean occupation
4.	Scholarship schemes (Post and Pre Matric) for SC, ST and OBCs
5.	Support for Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989
6.	National Programme for persons with Disabilities
7.	Scheme for providing Education to Minorities
8.	Umbrella scheme for education of ST Children
9.	Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna (IGMSY)
10.	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
11.	Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)- SABLA
12.	National Nutrition Mission (NNM)
13.	Scheme for protection and development of women
14.	Assistance for schemes under proviso(i) to Article 275(1) of the Constitution
15.	Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan
16.	Sarva Shiksha Abhiyaan (Financed from Education Cess)
17.	Mid Day Meal
18.	Schemes of North Eastern Council
19.	Special Package for Bodoland Territorial Council
20.	National Social Assistance Programme (NSAP) including Annapurna
21.	Grants from Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim
22.	Social Security for Unorganized Workers Scheme
23.	Support to Educational Development including Teacher Training and Adult Education
24.	Border Area Development Programme
25.	Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
26.	Cess backed allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)
27.	Roads and Bridges financed from Central Road Fund
28.	Project Tiger
29.	Project Elephant
30.	Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loan Portion)
31.	Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Grant Portion)

अनुबंध ***ANNEX - II***

केंद्रीय सहायता से मुक्त स्कीमें

Schemes delinked from support of the Centre

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	राष्ट्रीय ई-शासन योजना
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
3.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
4.	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए)
5.	निर्यात अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता की स्कीम
6.	6000 मॉडल स्कीमों की स्थापना की स्कीम
7.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
8.	पर्यटन अवसंरचना

टिप्पणी: चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.29 में उल्लेख किया है कि "हमने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच हमारे मानदण्डों और सिफारिशों के निर्धारण में कोई अंतर नहीं किया है। हमें विश्वास है कि राज्यों की लागत अक्षमता और राजकोषीय क्षमता पर प्रभाव डालने वाले कतिपय सामान्य घटकों के बावजूद ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जो व्याक्तिगत राज्यों के लिए अद्वितीय हैं। ---- हमारा उद्देश्य कर वितरण के माध्यम से संभव्य स्तर तक प्रत्येक राज्य के संसाधन अन्तरों को पाटने का है। तथापि, हमनें ऐसे राज्यों जहां केवल वितरण आकलित अंतर को नहीं पाटा जा सकता उनको वितरण-पश्च राजस्व घाटा अनुदानें उपलब्ध कराई हैं।"

इसलिए, अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष आयोजना सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वयं पंचाट में शामिल की गई हैं।

Sl.No.	Name of Scheme
1.	National e-Governance Plan
2.	Backward Regions Grant Funds
3.	Modernization of Police Forces
4.	Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyaan (RGPSA)
5.	Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure
6.	Scheme for setting up of 6000 Model Schools
7.	National Mission on Food Processing
8.	Tourist Infrastructure

Note: FFC has noted in para 2.29 of the Report *"We did not make a distinction between special and general category states in determining our norms and recommedations . We believe that while there are certain common factors that impact cost disability and fiscal capacity of States, there exist circumstances that are unique to individual States. - - -. Our objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap."*

Hence, Normal Central Assistance, Special Plan Assistance, Special Central Assistance and Additional Central Assistance for other purposes are subsumed in the award iteself.

अनुबंध **ANNEX - III**

परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ जारी स्कीमें

Scheme to be run with the Changed Sharing Pattern

क्र.सं.	स्कीम का नाम	Sl.No.	Name of Scheme
1.	पशुधन विकास	1.	Cattle Development
2.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	2.	Mission for Integrated Development of Horticulture
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	4.	National Livestock Mission
5.	राष्ट्रीय वहनीय कृषि विकास मिशन	5.	National Mission on Sustainable Agriculture
6.	डेयरी विकास अभियान	6.	Dairy Vikas Abhiyaan
7.	पशुचिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य	7.	Veterinary Services and Animal Health
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	8.	National Rural Drinking Water Programme
9.	स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण और शहरी)	9.	Swaccha Bharat Abhiyaan (Rural and Urban)
10.	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	10.	National Afforestation Programme
11.	राष्ट्रीय जल-पीरिस्थतिकी-प्रणाली योजना, (एनपीसीए)	11.	National Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (NPCA)
12.	राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	12.	National AIDS and STD Control programme
13.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13.	National Health Mission
14.	राष्ट्रीय शहरी पशुधन मिशन (एनयूएलएम)	14.	National Urban Livelihoods Mission (NULM)
15.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	15.	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan (RMSA)
16.	राज्य उच्च शिक्षा के लिए कार्यनीतिक सहायता-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रुसा)	16.	Strategic Assistance for State Higher Education - Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan (RUSA)
17.	न्यायपालिक के लिए अवसंरचना विकास	17.	For Development of Infrastructure Facilities for Judiciary
18.	राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम	18.	National Land Records Modernisation Programme
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	19.	National Rural Livelihood Mission (NRLM)
20.	ग्रामीण आवास-सबके लिए घर	20.	Rural Housing- Housing for All
21.	समेकित बाल विकास सेवा	21.	Integrated Child Development Service
22.	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) भूतपूर्व-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)।	22.	Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA) (erstwhile Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)
23.	पीएमकेएसवाई (वाटरशेड तथा लघुसिंचाई कार्यक्रमों को मिलाकर)	23.	PMKSY(including Watershed programme and Micro irrigation)
24.	एआईबीएफएमपी के मूल्यांकन अध्ययनों का प्रभाव	24.	Impact Assessment Studies of AIBFMP

टिप्पणी: *14हवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के प्रचुर अन्तरणों के मद्देनजर केंद्र-राज्य निधि पोषण का तारीका अब बदल रहा है। अब राजस्व व्यय राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। परिवर्तित निधि-पोषण के पैर्टन से स्कीमों के समग्र व्यय में कोई कमी नही होगी।*

Note: *The Centre-State funding pattern is being modified in view of the larger devolution of tax resources to States as per the recommendations of 14th Finance Commission whereby in this scheme, the revenue expenditure is to be borne by the States. Subsequent to changed funding pattern, overall expenditure on the schemes will not decrease.*